



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129226

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 24117 सन् 2026

सानिया तथा 1 अन्य

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.. प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: - राजीव सिसोदिया, शशांक द्विवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: - मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.)

न्यायालय संख्या -73

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं सहित प्रस्तुत की गई है:

"(i) परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को याचिकाकर्तागण के विरुद्ध बलपूर्वक कार्यवाही न अपनाने का निर्देश दिया जाए तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 को दोनों याचिकाकर्तागण के लिव-इन सम्बन्ध में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए।

(ii) ऐसी अन्य रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित व समुचित समझे।"

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं और यद्यपि याचिकाकर्तागण के मध्य विवाह पर उनके परिवारजनों द्वारा आपत्ति की गई थी, वे लिव-इन सम्बन्ध में रह रहे हैं। तथापि, परिवारजन याचिकाकर्तागण को निरन्तर प्रताड़ित कर रहे हैं तथा उनके वैवाहिक सामंजस्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं; अतएव उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठापित अपने जीवन व स्वतन्त्रता की सुरक्षा चाहते हुए, भारत के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करते हुए प्रस्तुत रिट याचिका प्रस्तुत की है।

4. **ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली एवं अन्य, 1976 3 एससीसी 234** में प्रतिवेदित वाद में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि कोई लड़की वयस्क है, तो उस व्यक्ति के चयन पर, जिसके साथ उसे रहना है, कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता, न ही उस स्थान के सम्बन्ध में जहाँ उसे रहना चाहिए, कोई निर्बन्धन आरोपित किया जा सकता है; और यदि वह 18 वर्ष से अधिक आयु की है, तो वह स्वतःविधि (सुई जूरिस) है। सम्बन्धीजन इस प्रकार के मामले में याचिकाकर्ता के मत अथवा वरीयता के स्थान पर अपना मत प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।

5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 5 एससीसी 475** में प्रतिवेदित वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अन्तर्जातीय विवाहों पर विचार करते हुए उनका स्वागत किया और यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिस किसी से भी चाहे, विवाह कर सकता है।

6. उक्त निर्णय की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल एवं अन्य, 2010 5 एससीसी 600** में प्रतिवेदित वाद में भी की गई; और यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक वयस्क लड़की जिस किसी से चाहे विवाह करने अथवा "जिसके साथ चाहे रहने" हेतु स्वतन्त्र है।

7. न्यायालय ने यह भी अवलोकित किया कि सामाजिक नैतिकता की अवधारणा नैसर्गिक रूप से आत्मनिष्ठ (सब्जेक्टिव) है और दाण्डिक विधि का उपयोग व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। नैतिकता व अपराधिकता समव्याप्त (सह-विस्तृत) नहीं हैं (**सन्दर्भ: नन्द कुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, 2018 16 एससीसी 602**)।

8. मामले के तथ्यों में यह स्पष्ट है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं और प्रस्तुत रिट याचिका के साथ प्रस्तुत शपथपत्र याचिकाकर्तागण के संयुक्त शपथपत्र के रूप में है तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता भी इस तथ्य को विवादित नहीं करते कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं; और अतएव प्रस्तुत रिट याचिका को ग्रहण-स्तर (एडमिशन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्टेज) पर ही निस्तारित किया जा रहा है; किन्तु तथापि यदि प्रस्तुत रिट याचिका के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में कथित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो प्रत्यर्थागण के लिए वापसी आवेदन (रिकॉल एप्लीकेशन) प्रस्तुत करना खुला रहेगा।

9. तदनुसार, पक्षकारों की सम्मति से प्रस्तुत रिट याचिका का निम्नलिखित निर्देशों सहित निस्तारण किया जाता है।

(i) याचिकाकर्तागण एक साथ रहने हेतु स्वतन्त्र हैं और यदि कोई व्यक्ति उनके वैवाहिक जीवन अथवा शान्तिपूर्ण सहवास में हस्तक्षेप करता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति सहित सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करेंगे, जो बिना किसी विलम्ब के याचिकाकर्तागण को तत्काल संरक्षण प्रदान करेंगे।

(ii) चूँकि याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनानुसार कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) अथवा परिवाद पंजीकृत नहीं है, अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश किसी भी प्रकार से विवाह की वैधता अथवा विवाह प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की सत्यता के सम्बन्ध में कोई अभिमत व्यक्त नहीं करता।

(iii) याचिकाकर्तागण यह वचनबद्धता देते हैं कि वे उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष अपने विवाह के पंजीकरण हेतु आज की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आवेदन करेंगे और, यदि अभी तक नहीं किया गया हो, तो शीघ्रता से अपना विवाह पंजीकृत करा लेंगे।

(iv) यदि याचिकाकर्तागण द्वारा अपने विवाह के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो नियमावली, 2017 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रार से यह अपेक्षित होगा कि, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो वे ऐसे आवेदन की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उनका विवाह पंजीकृत कर दें।

10. उपर्युक्त अवलोकन व निर्देश सहित, रिट याचिका **निस्तारित** होती है।

(सिद्धार्थ नंदन, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

अभिषेक गुप्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।